राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–1/ 19815 जयपुर, दिनांकः 30.09.2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ.1 (8) न्यू.म.श्रम/2000:–राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2000 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2003 (1960= 100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/ पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसार जुलाई, 2019 से जून, 2020 के 12 महीनों की अवधि में अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 7132 (1960=100) रहा है और इस प्रकार श्रम ब्यूरो, शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6635 (1960 =100) (माह जुलाई, 2018 से जून, 2019 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2019 से जून, 2020 की अवधि में (7132–6635= 497 पॉइन्ट) 497 औसत बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 एवं एस.ओ. 77 दिनांक 24.5.2008 के द्वारा जारी निर्देश एवं मान (वैल्यू) के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचनाएं क्रमांक एफ.1 (8) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/12526 दिनांक 26.9.2000 एवं क्रमांक एफ.8(1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसरण में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी हैं) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा :–

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रू0. में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 72.89 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 145.57 प्रति एक हजार बीड़ी
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 72.89 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 145.57 प्रति एक हजार बीड़ी
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्क्स)	रू0 2648.76 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7777.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रू0 2254.89 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7383.89 प्रति माह
		5. अन्य श्रमिक–तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रू0 2106 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7235 प्रतिमाह
		6. चौकीदार, वाचमैन	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7296.90 प्रतिमाह

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. स्तम्भ संख्या 3 क्रम संख्या 1 एवं 2 के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) के आधार पर डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी (रोलिंग/बंडल रैपिंग एवं पैकिंग) के मान से की गई है। (अधिसूचना 24.5.2008 के अनुसार)

3. स्तम्भ 3 के क्रम में संख्या 3 से 6 वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना माह जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) के आधार पर एक रूपया प्रति बिन्दू प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
4. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
7. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–1/ 19816-25 दिनांकः 30.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, (आई.टी सेल) को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0), राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।